

क्रमांक: मेडि.कॉले./संस्था./यूटीबी/2022/6502

दिनांक : 17/05/2022

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक: GMC/Estt./Faculty/UTB/2022/5983 दिनांक 30.03.2022 के तहत साक्षात्कार का आयोजन दिनांक 01.04.2022, 04.04.2022 से 08.04.2022 तक किया गया एवं श्रीमान् निदेशक, राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर के पत्र क्रमांक: F1(08)RajMES/Estt./UTB Faculty/Dholpur/2022/6855 दिनांक 11.05.2022 के द्वारा, श्रीमान् निदेशक, राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर के पत्र क्रमांक F1(79)/DME/RajMES/Estt./Faculty/2017/5940 दिनांक 24.03.2022 के तहत चिकित्सा महाविद्यालय, धौलपुर में स्वीकृत पदों पर राजमेस के एम्प्लॉयमेन्ट रूल्स (रिक्रूटमेन्ट एण्ड अदर कंडीशन्स) 2017 के अंतर्गत रिक्त पदों को सोसायटी के सेवानियमों के अंतर्गत विहित प्रक्रिया प्रावधानानुसार तथा निम्न चिकित्सक शिक्षक की योग्यता एम.सी.आई./एन.एम.सी. के मापदण्डों के अनुसार सुनिश्चित करते हुये आवश्यक अस्थायी आधार (यूटीबी) पर 06 माह अथवा नियमित चिकित्सक शिक्षक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त आदेश/निर्देशों की अनुपालना में निम्न अभ्यर्थी को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद एवं विभाग में आवश्यक अस्थायी आधार (यूटीबी) पर 06 माह अथवा नियमित चिकित्सक शिक्षक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो के लिए निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज, धौलपुर हेतु नियुक्ति प्रदान की जाती है। एम.सी.आई./एन.एम.सी. द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर इनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी।

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पदनाम	विभाग
1	डॉ. मुकेश पाण्डे	आचार्य	फिजियोलॉजी
2	डॉ. लोकेश कुमार अग्रवाल	सहायक आचार्य	जनरल सर्जरी

नियम व शर्तः-

- अभ्यर्थी को दस कार्यदिवस में अपनी उपस्थिति प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समय में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने पर यूटीबी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त हो जावेगी।
- यह नियुक्ति आवश्यक अस्थायी आधार (यूटीबी) पर 06 माह अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, तक के लिए मान्य होगी।
- अभ्यर्थी को योग्यता से संबंधित समस्त मूल दस्तावेज (मय स्वप्रमाणित छायाप्रति), अनुभव प्रमाण पत्र, सक्षम स्तर से जारी दो चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सहित अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उक्त दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर नियुक्ति तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी।
- चिकित्सक शिक्षक को आवश्यकतानुसार कोविड वार्ड, आकस्मिक विभाग सहित दूसरे विभागों में भी पदस्थ किया जा सकेगा।
- एम.सी.आई./एन.एम.सी. निरीक्षण के समय अनुपस्थित रहने या एम.सी.आई./एन.एम.सी. निरीक्षक द्वारा अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जावेगी।
- कार्यग्रहण के समय अभ्यर्थी को निम्न प्रपत्र में शपथ पत्र (Affidavit on Stamp Paper of Minimum Value Rs. 100) प्रस्तुत करना होगा कि-
 - यह कि मुझे किसी भी सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा संस्था में नियोजन प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया गया है।
 - यह कि मेरी कदाचार के कारण पूर्व में सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
 - यह कि मेरे छः माह के यूटीबी कार्यकाल के दौरान मुझे केवल 06 दिवस का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा।
 - मैं कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड वार्ड में प्रदत्त कर्तव्यों का निर्वहन पूर्णरूप से करूंगा/करूंगी एवं कार्य संपादन करने में कभी भी आपत्ति नहीं जताऊंगा/जताऊंगी।
 - यह कि मैंने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दौरान दिनांक 01.07.2021 को या उसके बाद अन्य किसी भी मेडिकल कॉलेज में एम.सी.आई./एन.एम.सी. निरीक्षण में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है।
 - यह कि राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर के नियुक्ति आदेश दिनांक के तहत मेरी यूटी.बी. आधार सेवा 06 माह के लिए है। 06 माह बाद मिलने वाली पुनर्नियुक्ति को मांगने के लिये मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। राजस्थान सरकार के सेवा नियमों के आधार पर मुझे पुनर्नियुक्ति नहीं मिलने पर मैं किसी भी न्यायालय/अधिकरण/मंच में नियुक्ति हेतु दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। अगर मैं इस संबंध में किसी भी न्यायालय/अधिकरण/मंच दावा प्रस्तुत करता/करती हूँ तो वह झूठा एवं बेअसर माना जावे।
 - यह कि मेरे बिना किसी भी पूर्व सूचना के लगातार 10 दिवस तक अनुपस्थित रहने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के सेवायें समाप्त करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, धौलपुर का होगा।
 - यह कि नियुक्ति/नियुक्ति के निरस्तीकरण/पुनर्नियुक्ति के संपूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, धौलपुर को होंगे। नियुक्ति निरस्त हो जाने के पश्चात् मैं किसी भी न्यायालय/अधिकरण/मंच के समक्ष चुनौती प्रस्तुत नहीं करूंगा / करूंगी।



Government Of Rajasthan
Office of The Principal
Govt. Medical College & Attached Hospital, Bharatpur (Raj.)
EMAIL- principal.mc.bhartpr@rajasthan.gov.in



- अगर मैं इस संबंध में किसी भी न्यायालय/अधिकरण/मंच के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करता / करती हूँ तो वह झूठा एवं बेअसर माना जावे और इस शपथ पत्र की सत्यता निरस्त होने पर मुझे पूर्णतया दोषी माना जायेगा।
- यह कि मैं कॉलेज परिसर में आवास/क्वार्टर आवंटन के लिये आवेदन प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी क्योंकि वर्तमान में कॉलेज परिसर में कोई भी आवास/क्वार्टर रिक्त नहीं है तथा इस संदर्भ में मेरे द्वारा साक्षात्कार के समय भी घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।
- यह कि मेरा चयन अन्य किसी संस्था/चिकित्सालय/विभाग में होने के पश्चात, मेरे द्वारा नियमानुसार एक माह पूर्व त्याग पत्र नोटिस न प्रस्तुत करने की स्थिति में, मैं आखिरी एक माह का वेतन मांगने का हकदार नहीं रहूंगा/रहूंगी।
7. सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी को अपने नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा।
 8. आवश्यक अस्थायी आधार (यूटीबी) पर नियुक्ति राजमैस के एम्प्लॉयमेंट रूल्स (रिक्रूटमेंट एण्ड अदर कंडीशन्स) 2017 के अध्याधीन रहेगी। राजमैस, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/संशोधन/आदेश/निर्देश लागू एवं मान्य होंगे।
 9. कार्यग्रहण के लिए अभ्यर्थी को टीए/डीए देय नहीं होगा।
 10. अभ्यर्थी को राजमैस के नियमों के अंतर्गत समेकित वेतन देय होगा।
 11. कर्तव्य- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, धौलपुर एवं विभाग प्रभारी के निर्देशानुसार कार्यों का निर्वहन करना होगा। दैनिक कार्यावधि भी प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, धौलपुर एवं विभाग प्रभारी के निर्देशानुसार रहेगी। कर्तव्य स्थल पर पहुंचने के लिए कोई भत्ता देय नहीं होगा। हडताल आदि सम्मिलित होने या अनुशासनहीनता के दोषी पाये जाने पर सेवाये तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जावेगी।
 12. कार्यरत कार्मिक न्यूनतम एक माह पूर्व की अवधि का नोटिस देकर त्याग पत्र दे सकेंगे। एक माह का नोटिस नहीं देने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकृत/सेवा समाप्त होने से एक माह पूर्व के वेतन की कटौती कर ली जावेगी।
 13. कार्मिक से संबंधित सभी मामलों में प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, धौलपुर का निर्णय अंतिम होगा।
 14. अभ्यर्थी को अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करने के समय ही पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

डॉ. सुभाष बंसल
प्रधानाचार्य

राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर

दिनांक : 17/05/2022

क्रमांक: मेडि.कॉले. / संस्था. / यूटीबी / 2022 / 6502
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, राजस्थान जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, धौलपुर।
3. नोडल अधिकारी (वेबसाइट) को भेजकर लेख है, कि चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
4. कार्यालय प्रति

डॉ. सुभाष बंसल
प्रधानाचार्य

राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर